निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 34 / 2021
दायरा दिनांकः–27.07.2021
निर्णय दिनांकः– 27.8.24

उनवान

1 नाथुलाल आयु 69 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी स्टेशन रोड छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. नगरपालिका छबडा जिला बारां (राज0) जर्ये
ए. चेयनमेन नगर पालिका छबडा जिला बारां राज0
बी. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबडा जिला बारां राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 27.8.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल – प्रार्थी
2. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 730/1374 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा माल छबडा तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान दिनांक 11–7–94 को श्री रामकल्याण, बलराम चतुर्भुज, गंगाप्रसाद पिसरान गोपाल एवं मुस० बद्रीबाई बेवा गोपाल मु० काली, मु० चन्द्रकला पुत्रियों गोपाल लाल जाति माली निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बारों राजस्थान के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जिस पर उन्होने पत्थरो का कोट बना रखा था उक्त आराजी को उक्त खातेदारान ने बजर्ये रजिस्टर्ड सेलडीडट दिनांक 11–7–94 को प्रार्थी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था। प्रार्थी ने उक्त आराजी में से 11 बिस्वा आराजी को कृषि से अकृषि कार्य में रूपान्तरित करवा लिया। जो गैर मुमकीन आबादी में दर्ज हो गई तथा शेष आराजी 7 बीघा 02 बिस्वा माल छबडा राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी बाउण्डरीशुदा है जिस पर प्राथी का ही कब्जा चला आ रहा है प्रार्थी ने उक्त आराजी को विकसित करने के क्रम में क्रय के तुरन्त बाद मकान बनाया हुआ है ट्यूबवैल लगा रखा है जो प्रार्थी के ही कब्जे में है। अप्रार्थी नगरपालिका छबडा के कर्मचारी दिनांक 14–6–2021 को विवादित आराजी पर आये और कहने लगे कि बाउण्डरीशुदा प्रार्थी के खाते की आराजी में खसरा नम्बर 737 रकबा 05 बिस्वा वाके छबडा नगरपालिका छबडा के खाते की आराजी भी शामिल है उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थी की विवादित आराजी जो बाउण्डरीशुदा हे में प्रवेश करेगे तथा प्रार्थी द्वारा निर्मित मकान को तोडेगे तथा प्राथी को बेदखल करेगें वादी ने राजस्व रेकार्ड संपरिवर्तन आदेश विवादित आराजी बाउण्डरीशुदा की स्थिति बताते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी ना तो प्राथर्थी की आराजी में प्रवेश कर सकते है ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:41:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पत्थरो के कोट को हटा सकते है ना ही निर्मित मकान को तोड़ सकते है तथा अप्रार्थी के नुमाईन्दों को ऐसा करने का कोई अधिकार भी नहीं है प्रार्थी ने यह भी कहा कि बाउण्ड्री शुदा आराजी सिर्फ खसरा नम्बर 730/1374 वाके छबडा ही है उसमें खसरा नम्बर 737 शामिल नहीं है प्रार्थी के अनुनय विनय व रेकार्ड बताने पर अप्रार्थी के नुमाईन्दे उस दिन तो कुछ नहीं कर पाये लेकिन जाते जाते धमकी देकर गये कि मौका लगते ही बाउण्डरी व निर्मित मकान को तोडेगे मादा है इन हालात में प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा हासिल करने के अलावा अन्य कोई उपधार उपलब्ध नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण प्रथम बार दिनाक 14–6–2021 को उत्पन्न हुआ जबकि अप्राथर्थी के कर्मचारी नुमाईन्दों ने विवादित आराजी पर स्थित पत्थरो के कोट बाउण्डरी में प्रवेश कर विवादित आराजी पर स्थित मकान व बाउण्डरी को ध्वस्त करने का असफल प्रयास किया तथा प्रार्थी के अनुनय विनय करने व वास्तविक स्थिति तथा दस्तावेज बताये जाने पर बामुश्किल माने इसके बाद दिनाक 18–6–2021 को पुनः अप्रार्थी के नुमाईन्चे प्रार्थी की अनुपस्थिति में तोडफोड करने लगे लिहाजा यही तिथि बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र हाजा करार दी जाती है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का सतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हुई तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 183 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके कस्बा छबडा में स्थित है प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी पूर्व खातेदार रामकल्याण, बलराम, चतरभुज, गंगाप्रसाद पुत्र गोपाल एवं बद्री बाई बेवा गोपाल काली चन्द्रकला पुत्रिया गोपाल जाति माली निवासी छबडा से जर्से रजिस्टर्ड सेलडीड दिनांक 11.07.1994 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थी द्वारा 11 बिस्वा भूमि कृषि से अकृषि कार्य में रूपान्तरित करवा लिया जो गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है शेष 7.02 बीघा भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण के कुछ कारिये आये और उन्होने प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में नगर पालिका की भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 5 बिस्वा होना बताया प्रार्थी के खातेदारी की आराजी से अप्रार्थीगण बेदखल करने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखल कर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा नगर पालिका की भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 5 बिस्वा पर अतिक्रमण कर बाउण्ड्रीवाल कर ली है प्रार्थी नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर हडपना चाहता है प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 730/1374 रकबा 7.13 बीघा में से 11 बिस्वा भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तित कराने का उल्लेख किया है उक्त भूमि पर स्थित मकान व बाउण्ड्रीवाल को नही तोडने बाबत् वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो सिविल नेचर की श्रेणी में आता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:41:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी नगर पालिका की भूमि पर कब्जा करके बैठा है नगर पालिका की भूमि में बाउण्ड्रीवाल कर रखी है प्रार्थी अपने खाते की भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा नही कर सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 183 नाथुलाल पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी छबडा का नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है नगर पालिका की ओर से प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी द्वारा नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण होना बताया है प्रार्थी अपना कब्जा नगर पालिका की भूमि पर नही होना बताते हे तथा नगर पालिका प्रार्थी का कब्जा बताती है ऐसी स्थिति में प्रार्थी की भूमि की पैमाईश करवाने से स्थिति स्पष्ठ हो सकेगी। पक्षकार विवादित आराजी की पैमाईस करवाकर वाद पत्र का निस्तारण कर सकतें है। लिहाजा स्थगन आदेश दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:41:03 IST
Reason: SelfAttested